



2026:AHC: 170424

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 12121/2024

कल्याण सिंह (व्यक्तिगत रूप से)

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 10 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

: कल्याण सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 93

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

- अपीलार्थी, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए हैं, और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
- यह आपराधिक अपील अपीलार्थी द्वारा विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) अधिनियम, प्रयागराज द्वारा आपराधिक विविध वाद संख्या 19 वर्ष 2021 (कल्याण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 113 वर्ष 2018, धारा 409 भा.द.सं., थाना मानिकपुर, जिला चित्रकूट से उत्पन्न हुआ है, मैं पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 22.11.2023 को अपास्त करने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के वाद को अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दिया गया था।
- व्यक्तिगत रूप से उपस्थित अपीलार्थी प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उनकी अनुपस्थिति न तो जानबूझकर थी और न ही सप्रयोजन। यह तर्क दिया गया है कि आक्षेपित आदेश उन्हें गुण-दोष के आधार पर अपने वाद की पैरवी करने का प्रभावी अवसर दिए बिना पारित किया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी विद्वान विचारण

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और कार्यवाहियों में सहयोग करने के लिए तैयार और इच्छुक है। इन आधारों पर, यह प्रार्थना की गई है कि आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाए।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने अपील का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि कई अवसर दिए जाने के बावजूद अपीलार्थी विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष बार-बार अनुपस्थित रहा है। यह तर्क दिया गया है कि आपराधिक वाद की कार्यवाही वर्ष 2021 से लंबित है, लेकिन अपीलार्थी इसकी तत्परता से पैरवी करने में विफल रहा है। इसलिए, आक्षेपित आदेश केवल अपीलार्थी की लगातार अनुपस्थिति के कारण पारित किया गया है और इसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराने वाली कोई अवैधता या विकृति नहीं है।

5. प्रतिद्वंद्वी अभिवेदनों पर विचार करने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन करने के पश्चात, यह न्यायालय आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं पाता है। विचारण न्यायालय की आदेश-पत्र के परिशीलन से, ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही वर्ष 2021 से लंबित है और अवसर दिए जाने के बावजूद अपीलार्थी कई तिथियों पर विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहा है। अपीलार्थी की बार-बार अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप कार्यवाही अत्यधिक अवधि के लिए लंबी खींच गई है।

6. यह सुस्थापित है कि जो मुकदमेबाज किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान करता है, उसका यह कर्तव्य है कि वह सतर्क रहे और कार्यवाहियों की तत्परता से पैरवी करे। संबंधित पक्ष की बार-बार और अस्पष्टीकृत अनुपस्थिति से कानून की प्रक्रिया को विफल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कार्यवाही आगे बढ़ाने के अधिकार के साथ-साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और इसके त्वरित निस्तारण में सहयोग करने का संबंधित कर्तव्य अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है।

7. वर्तमान वाद में, अपीलार्थी ऐसा कोई पर्याप्त या बाध्यकारी कारण प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं रहा है जो विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उसकी बार-बार अनुपस्थिति को उचित ठहरा सके। वर्ष 2021 से कार्यवाही लंबित रहने के पश्चात, भविष्य में उपस्थित होने की इच्छा की केवल अभिव्यक्ति अपने आप में आक्षेपित आदेश को अपास्त करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकती है। अभिलेख से जैसा कि झलकता है, अपीलार्थी का आचरण कार्यवाहियों की पैरवी करने में उचित तत्परता की कमी को इंगित करता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. यह न्यायालय इस तथ्य से भी अवगत है कि केवल इसलिए आपराधिक कार्यवाहियों को अनिश्चित काल तक लंबित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि संबंधित पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है। न्यायिक कार्यवाहियों को उचित तत्परता के साथ संचालित करने की आवश्यकता होती है, और किसी मुकदमेबाज की ओर से बार-बार चूक होने पर स्थिति के त्वरित निस्तारण के मूल उद्देश्य को विफल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

9. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय पाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 22.11.2023 को पारित करने में कोई अवैधता, विकृति या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं की है।

10. गुण-दोष से रहित होने के कारण, वर्तमान अपील **खारिज** की जाती है।

11. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे एक सप्ताह के भीतर संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से संबंधित न्यायालय को फैक्स/ई-मेल द्वारा इस आदेश की एक प्रति तामील कराएं।

(न्यायमूर्ति संतोष राय)

13 अगस्त, 2026

आर.ए.